

आरएफपी संदर्भ सं.: –

रा.आ.बैंक/एमआरसीपीडी/आरएफपी– 08641 /2022 दिनांकित 25 जनवरी, 2022

नई पहलों की अनुशंसा करने व पहल के शुरू से अंत तक कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा तैयार करने  
हेतु सलाहकार की नियुक्ति

के लिए - प्रस्ताव हेतु अनुरोध

बाजार अनुसंधान, परामर्श एवं नीति विभाग तथा कॉरपोरेट संचार प्रकोष्ठ  
(एमआरसीपीडी एवं सीसीसी)  
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक  
कोर 5-ए, तृतीय व चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड,  
नई दिल्ली – 110 003

फोन: 011-39187311, 011-39187237

ई-मेल: prashant.rai@nhb.org.in ; krishna.maurya@nhb.org.in

<b>1. महत्वपूर्ण बोली विवरण</b>		
1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की प्रारंभ करने की तिथि	25, जनवरी 2022
2.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (दिनांक और समय)	03 फरवरी, 2022; 1500 बजे
3.	बोली दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि एवं समय	16 फरवरी, 2022; 1800 बजे
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	बाद में सूचित किया जाएगा
5.	बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति	बाद में सूचित किया जाएगा
6.	बयाना जमा राशि	₹16,00,000/-
7.	किसी भी स्पष्टीकरण हेतु संपर्क व्यक्ति	1- श्री प्रशांत कुमार राय 2- श्री कृष्ण चंद्र मौर्य
8.	बोली प्रस्तुत करने का माध्यम	सरकारी ई-बाजार (जेम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन

**नोट: -**

- बोली पूर्व बैठक में शामिल होने के लिए लिंक बैठक की तारीख से पहले बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

## 2. राष्ट्रीय आवास बैंक

2.1 राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है। रा.आ.बैंक की स्थापना तीन व्यापक कार्यों को करने के लिए की गई थी – आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) का पर्यवेक्षण, वित्त पोषण और संवर्धन और विकास। संस्थागत और बाजार के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रा.आ.बैंक के बहु-आयामी दृष्टिकोण ने आवास क्षेत्र में विस्तार और स्थिरता का नेतृत्व किया है। रा.आ.बैंक संस्थागत ढांचे और बाजार के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के माध्यम से देश में एक मजबूत और टिकाऊ आवास वित्त प्रणाली की स्थापना के लिए कटिबद्ध है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- अधिनियम के तहत प्राप्त पर्यवेक्षी शक्ति के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली व कोलकाता में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई व गुवाहाटी में है।

## 3. परिदृश्य:

आवास वित्त प्रणाली के विकास की पृष्ठभूमि में, रा.आ.बैंक अपने 3 व्यापक कार्यों अर्थात् वित्त पोषण, पर्यवेक्षण और संवर्धन और विकास के माध्यम से निम्नलिखित दृष्टि को साकार करने का प्रयास करता है-

**"आवास वित्त बाजार में स्थिरता के साथ समावेशी विस्तार को बढ़ावा देना"**

हालांकि इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह में लगातार विस्तार हुआ है, निम्न और मध्यम आय और ग्रामीण परिवारों की

आवास आवश्यकताओं की सीमित पहुंच है। इस बाजार क्षेत्र की सेवा के लिए एक समर्पित और टिकाऊ (बाजार-उन्मुख) दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित मिशन की परिकल्पना की गई है-

**"निम्न और मध्यम आय वाले आवास पर ध्यान देने के साथ आबादी के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार की संभावनाओं का दोहन और बढ़ावा देना"**

रा.आ.बैंक अधिनियम के अनुसार, बैंक आवास वित्त प्रणाली के ठोस विस्तार को सुनिश्चित करने और नीतिगत प्रोत्साहन प्रयासों, संसाधन प्रवाह में वृद्धि, आवास वित्त संस्थानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से और अन्य ऋणदाता एजेंसियां, इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण और बाजार के बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आवास क्षेत्र के समग्र विकास को उत्प्रेरित करने में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

रा.आ.बैंक सक्रिय रूप से योजनाओं, नीतियों, योजनाओं, समितियों, केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, औद्योगिक निकायों की अनुशंसाओं में शामिल है। बैंक देश में आवास वित्त के लिए ऋण वितरण नेटवर्क को सुधारने/मजबूत करने के लिए आवास वित्त संस्थानों के पुनर्वित्त, पर्यवेक्षण, संवर्धन और विकास से संबंधित गतिविधियों में कार्य कर रहा है। बैंक देश में सुदृढ़ आवास और आवास वित्त प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। गतिविधियों में केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में सरकारी योजनाओं को लागू करना, आवास वित्त संस्थानों को इक्विटी सहायता, क्षमता निर्माण के लिए आवास वित्त कंपनियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। बैंक ने हाल ही में संपूर्ण आवास वित्त प्रणाली को शामिल करते हुए बैंक की विकासात्मक भूमिका को व्यापक आधार देने के लिए कई पहल की हैं।

चूंकि देश वित्त वर्ष 25 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक बढ़ने का लक्ष्य बना रहा है, आवास वित्त उद्योग इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। देश में सुदृढ़ आवास वित्त प्रणाली को और मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने नई पहलों को चिन्हित करने और उन्हें लागू करने की योजना बनाई है। यह पहल उद्योग में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्य निर्माण में सहायता करेगी।

#### 4. प्रयोजन:

- राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) (बाद में बैंक के रूप में संदर्भित) बैंक के अधिदेश के अनुसार बैंक की नई पहलों की अनुशंसा करने व कार्य-क्षेत्र के तहत वर्णित पहलों के शुरू से अंत तक कार्यान्वयन के लिए एक ढांचा तैयार हेतु अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र संगठनों से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) निविदाएं आमंत्रित करने का प्रस्ताव करता है। आरएफपी दस्तावेज के लिए आमंत्रण अब जारी किया जा रहा है ताकि संगठन बैंक को अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कर सकें।

अन्य बिंदुओं के लिये अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 5. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र:

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 6. डिलिवरेबल्स

सलाहकार को निम्न वितरित करने की आवश्यकता होगी:

- i. सभी मान्यताओं, कार्यप्रणाली और परिदृश्यों को बताते हुए कार्य-क्षेत्र को कवर करने वाली एक मसौदा रिपोर्ट, जिस पर रा.आ.बैंक के साथ चर्चा की जाएगी।
- ii. रा.आ.बैंक की चर्चाओं और टिप्पणियों को शामिल करने के बाद अंतिम विस्तृत रिपोर्ट।
- iii. रिपोर्ट की सामग्री, अंतर्निहित धारणाओं और परिणामों को सही ठहराते हुए रा.आ.बैंक के प्रबंधन को प्रस्तुति।
- iv. महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ सभी पहलों के लिए एक विस्तृत शुरू से अंत तक कार्यान्वयन ढांचा व विभिन्न विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को शामिल करने सहित कार्यान्वयन में सहायता/निगरानी करना, जहां भी आवश्यक हो।

डिलिवरेबल्स भाग 8.12 में प्रदान की गई कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार की जाएगी और इसमें आरंभिक रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट और कार्यान्वयन गतिविधियों पर रा.आ.बैंक प्रबंधन को प्रस्तुतियां शामिल होंगी।

## 7. संविदा की अवधि:

इस आरएफपी के परिणामस्वरूप होने वाला कोई भी अनुबंध दो चरणों में प्रेषित कार्य आदेश/लेटर ऑफ अवॉर्ड की स्वीकृति की तारीख से (अठारह महीने) ("अवधि") की अवधि के लिए वैध होगा और यदि आवश्यक हो, तो इसे संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन और रा.आ.बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अनुशंसित और अनुमोदित पहलों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले रा.आ.बैंक के विवेकाधिकार के अधीन इसे बाद के अधिकतम 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। रा.आ.बैंक बिना कोई कारण बताए निर्धारित समय सीमा को कम करने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- चरण-1: अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रारंभिक डिजाइन और संस्थापना चरण 6 महीने के लिए परिकल्पित है।
- चरण-2: दूसरे चरण की परिकल्पना 12 महीने की है और इसमें कार्य-क्षेत्र और बैंक को ज्ञान अंतरण के अनुसार अंतिम पहल के कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।

विस्तारित अवधि के लिए भुगतान का निर्णय कार्यान्वयन लागत यानी कुल परियोजना लागत का 60% (वाणिज्यिक बोली के अनुसार) / 12 के आधार पर मासिक दर पर विचार करते हुए किया जाएगा।

## 8. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

### 8.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं; इससे किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र एजेंसी/बोलीदाताओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है। यह आरएफपी दस्तावेज किसी भी अनुबंध या व्यवस्था का हिस्सा होगा, जो इस दस्तावेज के जारी होने या किसी जाँच या समीक्षा के परिणामस्वरूप हो सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

श्री प्रशांत कुमार राय सहायक महाप्रबंधक बाजार अनुसंधान, परामर्श और नीति विभाग और कॉर्पोरेट संचार प्रकोष्ठ (एमआरसीपीडी और सीसीसी)	श्री कृष्ण चंद्र मौर्य सहायक प्रबंधक बाजार अनुसंधान, परामर्श और नीति विभाग और कॉर्पोरेट संचार प्रकोष्ठ (एमआरसीपीडी और सीसीसी)
राष्ट्रीय आवास बैंक	राष्ट्रीय आवास बैंक

चौथी मंजिल, कोर - 5ए, भारत पर्यावास केंद्र लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 ईमेल: <a href="mailto:prashant.rai@nhb.org.in">prashant.rai@nhb.org.in</a>	चौथी मंजिल, कोर - 5ए, भारत पर्यावास केंद्र लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003 ईमेल: <a href="mailto:krishna.maurya@nhb.org.in">krishna.maurya@nhb.org.in</a>
बाजार अनुसंधान, परामर्श एवं नीति विभाग तथा कॉरपोरेट संचार प्रकोष्ठ (एमआरसीपीडी एवं सीसीसी) मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक कोर 5-ए, तृतीय व चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003	

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो केवल जेम के माध्यम से लिया जा सकता है।
- बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/भा.रि.बैंक/बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित/असूचीबद्ध नहीं किया गया हो।
- रा.आ.बैंक के पास यह अधिकार है कि यदि उचित समझा जाए तो वह संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय पूरी निविदा प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।

## 8.2 बोली पूर्व बैठक

8.2.1 इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर ऑनलाइन माध्यम से बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में 02 फरवरी, 2022 तक या इसके पहले जेम पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के बोली पूर्व बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया

जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी। बैठक के लिए लिंक "निविदाएं" भाग के तहत बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

8.2.2 प्रश्नों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए:

क्र. सं.	आरएफपी अनुच्छेद सं. और पृष्ठ सं.	आवश्यक स्पष्टीकरण आरएफपी सामग्री	स्पष्टीकरण हेतु बिंदु
1			
2			
3			
4			

8.2.3 रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोलीदाताओं के प्रश्न उन्हें प्राप्त हो गए हैं। उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार या निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त स्पष्टीकरण के किसी भी अनुरोध पर रा.आ.बैंक द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

### 8.3 बोली प्रस्तुत करने का माध्यम

निविदा/आरएफपी को जेम पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है। आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी रा.आ.बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> से "निविदाएं" भाग के तहत तथा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) पर भी डाउनलोड की जा सकती है। बोली/प्रतिक्रियाएं अनिवार्य रूप से केवल जेम पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जानी हैं एवं प्रस्तुत करने के किसी अन्य माध्यम की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियां, यदि कोई हों, तो अस्वीकार कर दी जाएंगी तथा आगे किसी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

### 8.4 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

### 8.5 विलोपन अथवा परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक के विवेक पर तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन को केवल विचार किया जाएगा, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। हालाँकि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी तरीके से कोई

अंतरालेखन, विलोपन या उपरिलेखन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह भरा हो। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी जाये। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ.बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

## 8.6 बोली/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन कर सकता है।
- संशोधन जेम पोर्टल तथा रा.आ.बैंक की वेबसाइट [www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) पर अपलोड किया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता/बोलीदाताओं द्वारा किसी प्रकार चूक के मामले में रा.आ.बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण अंतराल के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

## 8.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

## 8.8 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास आरएफपी में विनिर्दिष्ट मात्रा में परिवर्तन करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के समय-समय के पास इस आरएफपी में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

**8.9** बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारूपों में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

1. अनुलग्नक I में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;

2. अनुलग्नक II में निर्धारित प्रारूप में बोलीदाता का अनुभव विवरण
3. अनुलग्नक III में निर्धारित प्रारूप में अनुपालन विवरण घोषणा;
4. अनुबंध IV में निर्धारित प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई हो;
5. अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में न्यूनतम पात्रता पर जानकारी;
6. तकनीकी प्रस्ताव: तकनीकी बोली अनुलग्नक VI में निर्धारित प्रारूप में कवरींग पत्र के साथ अनुलग्नक VII में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनीकी प्रस्ताव वाले दस्तावेज होने चाहिए:
  - ✓ अनुलग्नक X में निर्धारित प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
  - ✓ अनुलग्नक XI में निर्धारित प्रारूप में योग्यता पत्र;
  - ✓ अनुलग्नक XII में निर्धारित प्रारूप में मुख कार्मिकों का बायोडेटा (सीवी);
  - ✓ अनुलग्नक XIII में प्रारूप में संकल्प मैट्रिक्स ;
  - ✓ अनुलग्नक XIV में प्रारूप में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता (जहां भी लागू हो) (संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए 100/- रु. के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर सही तरीके से टंकित कर प्रस्तुत करना होगा और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से भी हस्ताक्षर किया जाएगा। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तारीख होनी चाहिए)
  - ✓ भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध का प्रमाणपत्र अनुलग्नक XVIII में निर्धारित है;
  - ✓ ईएमडी/ बोली प्रतिभूति घोषणा अनुलग्नक XIX में निर्धारित है
7. वाणिज्यिक प्रस्ताव: वाणिज्यिक बोली अनुलग्नक VIII में निर्धारित प्रारूप में कवरींग पत्र के साथ अनुलग्नक IX में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**नोट: ईएमडी राशि के बिना बोलियां पूरी तरह से खारिज कर दी जाएंगी।**

## 8.10 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएंगी। भारतीय रूपए के अलावा किसी अन्य मुद्रा में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

## 8.11 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियों के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई-भुगतान के माध्यम से 16,00,000/- रु. (सोलह लाख रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा होनी चाहिए।

खाता विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी पता	कोर 5ए, चौथी मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	भारतीय स्टेट बैंक
4	लाभार्थी बैंक शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं.	52142903844
7	बैंक शाखा का आईएफएस कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं.	110004005

(ख) ईएमडी के भुगतान का प्रमाण तकनीकी बोली के साथ संलग्न/प्रस्तुत किया जाना चाहिए; जिसके अभाव में आगे के मूल्यांकन के लिए बोली पर विचार नहीं किया जा सकता है। बोलीदाताओं को अनुलग्नक-X में संलग्न ईसीएस अधिदेश प्रपत्र भी जमा करना अपेक्षित है।

(ग) ईएमडी के बिना उचित रूप और तरीके से प्राप्त किसी भी बोली को अनुत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(घ) ईएमडी से छूट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ड) रक्षित अन्यथा प्रदान किए गए या निश्चित करार में, सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि एसएलए के निष्पादन और आरएफपी की शर्तों के अनुसार कुल अनुबंध मूल्य के 10% मूल्य के लिए पीबीजी जमा करने के बाद वापस की जाएगी।

(च) ईएमडी प्रतिभूति जन्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली/बोलियों को वापस ले लेता है।
- यदि बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी भी समय कोई बयान देता है या कोई फॉर्म संलग्न करता है जो गलत/गलत साबित होता है।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलीदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है; तथा

- अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा करार के किसी भी उल्लंघन के मामले में।

## 8.12 कार्यान्वयन अनुसूची

सेवाओं के वितरण के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा।

तालिका अंग्रेजी अनुसार

\*समयसीमा का पालन न करने पर बैंक द्वारा उचित समझे जाने पर दंड लगाया जाएगा।  
आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग प्रक्रिया शुरू होगी।

### कार्य-निष्पादकता बैंक गारंटी (पीबीजी)

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

## 8.13 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृत हेतु वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से छह माह की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ. बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

## 8.14 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

रा.आ.बैंक अपने विवेक से, जेम पोर्टल और रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोलियां जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, रा.आ.बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और दायित्व जो पहले समय सीमा के अधीन थे, उसके बाद बढ़ाई गई समय सीमा के अधीन होंगे।

## 8.15 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां जेम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खोली जाएंगी।

### 8.16 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

### 8.17 प्रारम्भिक जांच

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

### 8.18 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सभी सहायक प्रलेखन तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा प्रलेखन लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

### 8.19 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौंपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

#### 8.19.1 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को अनुलग्नक IX में प्रदान किये गये प्रारूप के अनुसार यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से कीमतों को प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विचलन की स्थिति में बोली अस्वीकार की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बोली के अलावा किसी भी विकल्प को कोट नहीं किया जायेगा। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान सौंपे गए

किसी भी कार्य के लिए करें (वर्तमान और भविष्य) को छोड़कर परामर्श की लागत से संबंधित कोई मूल्य भिन्नता पर विचार नहीं किया जाएगा।

- केवल जीएसटी का भुगतान सांविधिक प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।
- परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित पत्र सौंपने की तिथि/लेटर ऑफ अवार्ड (प्रारंभिक तिथि) या ऐसी अन्य तिथि की स्वीकृति की तारीख होगी। यदि लागू हो, तो समर्थन सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए उसी तिथि पर विचार किया जाएगा।

### 8.19.2 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

एजेंसी के पास इस परियोजना के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उचित और पर्याप्त समर्थन तंत्र होना चाहिए।

### 8.19.3 मैनुअल

एजेंसी अनुबंध की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगी। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होनी चाहिए और आपूर्ति की गई सेवाओं का स्पष्ट रूप से संकेत होना चाहिए।

### 8.20 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।

यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।

- बोलीदाता को **अनुलग्नक XVIII** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:

क) बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'एजेंसी' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।

ख) इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -

- (i) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई इकाई; या
- (ii) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत कोई सहायक या संस्था; या
- (iii) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या
- (iv) एक इकाई जिसका लाभकारी स्वामी ऐसे देश में स्थित है; या
- (v) ऐसी इकाई का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
- (vi) एक सामान्य व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
- (vii) एक संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;

iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;

v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

## 9. बोली मूल्यांकन

कृपया 9.1 से 9.5.7 तक के लिये अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

### 9.6 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व बैठक के बाद ही बोलियाँ प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है।

### 9.7 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

### 9.8 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है अनुलग्नक- IV के अनुसार विचलन को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए, इस आरएफपी पर लागू अनुबंध के नियम और शर्तें उनके लिए स्वीकार्य नहीं हैं। बोलीदाताओं को यह भी स्पष्ट रूप से वर्णन करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं को किस रूप में और किस सीमा तक विनिर्देशों और आवश्यकताओं में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार अलग से प्रस्तावित किया जा रहा है।

### 9.9 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो संविदा के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

### 9.10 रा.आ.बैंक से संपर्क करना या बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

### 9.11 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

### 9.12 प्रतिबंधित या सूची से निकाले गए बोलीदाता

बोलीदाता को एक घोषणा देनी पड़ती है कि उन्हें किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से निकाला नहीं गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या उनके सहायकों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है तो इस तथ्य को स्पष्ट करना होगा। यदि यह घोषणा नहीं की जाती है, तो बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा। यह घोषणा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

### 9.13 कानूनों का अनुपालन

- 1) एजेंसी/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं

के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

- 2) एजेंसी ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।
- 3) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत वेंडर के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## 9.14 बौद्धिक संपदा अधिकार

एजेंसी के रूप में उसके चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

- 1) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- 2) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।
- 3) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्च पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय

इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्त समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है।

- 4) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अतः इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लिखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

### 9.15 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- 1) यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो बैंक उचित समझे उस पर उचित कार्रवाई कर सकता है।
- 2) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक पर पीबीजे के आमंत्रण समेत संविदा की समाप्ति हेतु आरएफपी में दी गई उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है।

### 10 वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलीदाताओं से इस परियोजना के लिए वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें नोट करने का अनुरोध किया जाता है:-

#### 10.1 मूल्य

- क) बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत में सभी प्रकार की लागतें शामिल होनी चाहिए।
- ख) कीमत पूरी अनुबंध अवधि यानी 18 महीने की अवधि के लिए के लिए वैध होनी चाहिए, जिसे रा.आ.बैंक द्वारा यथा अपेक्षित बिना किसी अतिरिक्त लागत के बढ़ाया जा सकता है।

- ग) कीमत सभी लागू करों को छोड़कर होनी चाहिए।  
घ) बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य अनुबंध के बोलीदाता के कार्य-निष्पादन के दौरान अर्थात् अठारह महीने की अवधि के लिए और साथ ही विस्तारित अवधि के दौरान यदि रा.आ.बैंक द्वारा समान नियमों और शर्तों पर आवश्यक हो तो स्थिर रहेगा।  
ङ) समायोज्य मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

## 10.2 भुगतान की शर्तें

- ✓ कोई भी भुगतान पीबीजी जमा करने के बाद और एसएलए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही जारी किया जाएगा।
- ✓ सहमत व्यावसायिक शुल्क का भुगतान, स्रोत पर लागू करों की कटौती के बाद चयनित सलाहकार को जारी किया जाएगा, जो कार्य के संतोषजनक समापन (जैसा कि बैंक द्वारा तय किया गया है) के अधीन होगा।
- ✓ भुगतान निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा-
  - क) रिपोर्ट का पहला मसौदा प्रस्तुत करने के बाद - 10%
  - ख) रिपोर्ट का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के बाद - 10%
  - ग) रा.आ.बैंक के बोर्ड द्वारा रिपोर्ट के अनुमोदन के बाद - 20%
  - घ) कार्यान्वयन ढांचे के सम्मत महत्वपूर्ण गतिविधियों के पूरा होने के आधार पर तिमाही आधार पर कार्य पूरा होने पर शेष 60%।

बैंक स्रोत पर लागू करों की कटौती के बाद उपरोक्त शर्तों के आधार पर चयनित बोलीदाता को आरएफपी में उद्धृत सहमत शुल्क का भुगतान जारी करेगा।

## 10.3 संविदा की समाप्ति के मामले में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

[www.nhb.org.in](http://www.nhb.org.in) – What's New

**\*किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।**

XXXXXXXXXXXX